उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

पत्रांकः ओ.यू./प.प्र./481/2024

दिनांक– 25–10–2024

सूचना

अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय नियमानुसार सत्र जनवरी 2024 (वार्षिक व सेमेस्टर) तथा जुलाई 2024 (सेमेस्टर) की परामर्श कक्षाएं विश्वविद्यालय कैलेण्डर अनुसार माह अक्टूबर–नवम्बर, 2024 में संचालित किये जाने का प्रावधान है। उक्त से सम्बन्धित सत्र की परीक्षाओं का प्रारम्भ दिसम्बर–2024 के प्रथम सप्ताह से प्रस्तावित है।

अतः माननीय कुलपति जी के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय के समस्त विद्या शाखाओं के निदेशकों/प्रभारियों, क्षेत्रीय केन्द्रों के समन्वयकों तथा अध्ययन केन्द्रों के समन्वयकों/प्राचार्यों को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार सत्र जनवरी 2024 (वार्षिक व सेमेस्टर) तथा जुलाई 2024 (सेमेस्टर) के सापेक्ष आयोजित होने वाली **परामर्श कक्षाओं को माह नवम्बर 2024 तक** सम्पन्न कराया जाना सुनिश्चित करते हुए परामर्श कक्षाएं संचालित होने से पूर्व समय–सारणी को भी परामर्श प्रकोष्ठ के ई–मेल counsellingbill@uprtou.ac.in पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

25/10/2024

(डॉ. दिनेश सिंह)
प्रभारी, परामर्श प्रकोष्ठ

पृ. संख्याः ओ.यू./प.प्र./481(1)/2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रभारी, ICT Cell को वेबसाइट पोर्टल, एकलव्य ऐप तथा अध्ययन केन्द्रों व क्षेत्रीय केन्द्रों के लॉगिन पर अपलोड कराने हेतु।
2. परीक्षा नियंत्रक, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
3. वित्त अधिकारी, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
4. कुलसचिव, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
5. कुलपति जी के निजी सचिव को मा0 कुलपति जी के सादर सूचनार्थ।

(डॉ. सतीश चन्द्र जैसल)
सह–प्रभारी, परामर्श प्रकोष्ठ

Scanned with OKEN Scanner

7

परामर्श कक्षाओं (Counselling Classes) के संचालन सम्बन्धी अनुदेश

काउन्सिलिंग हेतु सामान्य मानक

1. सामन्य पाठ्यक्रमों/प्रश्नपत्रों के आठ क्रेडिट के कोर्स में 09 से 12, क्रेडिट के कोर्स में 06 से 09, चार क्रेडिट के कोर्स में 04 से 05 सम्पर्क कक्षाएँ (सत्र) आयोजित होंगी।
2. ऐसे पाठ्यक्रम जिनमें शिक्षार्थियों की संख्या 05 अथवा 05 से अधिक किन्तु 10 से कम हो, उनमें केवल 50 प्रतिशत काउन्सिलिंग कराने की व्यवस्था की जायेगी और यदि शिक्षार्थियों की संख्या 1 से 4 है तो 25 प्रतिशत परामर्श कक्षाएँ चलाई जायेंगी।
3. प्रमाण–पत्र कार्यक्रम जिनमें प्रयोगात्मक कार्य अनिवार्य है, को छोड़कर शेष प्रमाण–पत्र कार्यक्रमों में कोई काउन्सिलिंग न करायी जाए।
4. पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान से सम्बन्धित BLIS-04 एवं BLIS-05 तथा MLIS-07 एवं MLIS-08 के प्रयोगात्मक कार्यों के परामर्श सत्रों की संख्या निम्नवत होगी–

क्रम सं0	क्रेडिट	अनुमन्य परामर्श सत्रों की संख्या
1	4	7 सैद्धान्तिक परानर्श सत्रों सहित
2	6	12 सैद्धान्तिक परामर्श सत्रों सहित
3	8	15 सैद्धान्तिक परामर्श सत्रों सहित

5. सम्बन्धित विषयों में परामर्श सत्रों में परामर्शदाता का कार्य तथा प्रोजेक्ट एवं प्रयोगात्मक कार्य का निर्देशन/पर्यवेक्षण कार्य विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित निम्न योग्यताओं के अनुसार कराया जाय :–

परामर्श कक्षाओं के संचालन के लिए सामान्य कार्यक्रम एवं प्रोफेशनल कार्यक्रमों (जैसे– कम्प्यूटर विज्ञान, कम्प्यूटर अनुप्रयोग, प्रबन्धन, पुस्तकालय विज्ञान, कृषि विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान आदि जहाँ UGC के साथ–साथ AICTE/ICAR/ICMR आदि के नियम भी लागू होते हैं) में परामर्शदाताओं की योग्यता वरीयता क्रम में निम्नवत् होगी :–

- विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान में सम्बन्धित विषय में नियमित रूप से कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त शिक्षक/पुस्तकालयाध्यक्ष/ उप पुस्तकालयाध्यक्ष/ सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष।

अथवा

- विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान में अस्थाई/संविदा/तदर्थ रूप से नियुक्त शिक्षक/पुस्तकालयाध्यक्ष/ उप पुस्तकालयाध्यक्ष/ सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष जो सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि धारक हो व नेट/पीएच.डी हो। AICTE/ICAR/ ICMR आदि से सम्बन्धित कार्यक्रमों/विषयों में इन नियामक संस्थाओं के नियम लागू होंगे। सामान्य रूप से स्नातक स्तर की परामर्श कक्षाओं के लिए 03 वर्ष तथा परास्नातक स्तर की परामर्श कक्षाओं के लिए 05 वर्ष का अध्यापन अनुभव रखता हो।

अथवा

- यथा संभव परामर्शदाता उसी संस्था का शिक्षक/परामर्शदाता होना चाहिए। अनुपलब्धता की दशा में आस–पास स्थित अन्य विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थाओं में कार्यरत उपरोक्त योग्यताधारकों से भी वाह्य परामर्शदाताओं के रूप में सहयोग लिया जा सकता है।

Scanned with OKEN Scanner